विक्रमसिंह बनाम दुर्जनसिंह वगैराह
दावा क्रमांक 31/2022
जीसीएमएस क्रमांक 2022/149

– : आदेश :–

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद का स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी विक्रमसिंह के हक बंट कब्जे काश्त एवं खातेदारी में मौजा रोहिणा का खसरा नम्बर 1374/334 रकबा 6.1188 हैक्टेयर में से रकबा 1.61874 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी हिस्सा, खेत खसरा नम्बर 1376/128 रकबा 0.9955 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 151 रकबा 0.2509 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी दुर्जनसिंह के हक बंट कब्जे काश्त एवं खातेदारी में मौजा रोहिणा के खसरा नम्बर 1374/334 रकबा 6.1188 हैक्टेयर में से रकबा 4.50006 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1448/1374 रकबा 0.2752 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 335 रकबा 0.1457 हैक्टेयर पूरा खेत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे क डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल न शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11.2.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner